

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर


//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 11/04/2020

एफ 1-26/2020/17-1:: COVID 19 के संदर्भ में चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा COVID 19 के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुगंसत प्रावधानों के अंतर्गत आगामी आदेश तक एतद्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है।

2/ इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह से साफ किये न किया जाए।

3/ बिना मास्क/फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

  
(निहारिका बारिक सिंह)  
सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 11/04/2020

पृष्ठ 0 क. एफ 1-26/2020/17-1,  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
  2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर,
  3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर,
  4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
  5. पुलिस महानिदेशक, छ0ग0 रायपुर,
  6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
  7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़
  8. समस्त जिला दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़,
  9. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

BURDE, PA